

राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भारती महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

महाविद्यालय में हिंदी पारंगत प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन
(केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में)

फरवरी 2024 में महाविद्यालय परिसर में प्रारंभ की गई हिंदी पारंगत प्रशिक्षण कक्षाएँ, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में, सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महाविद्यालय के अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को कार्यालयी कार्यों में हिंदी के प्रभावी एवं शुद्ध प्रयोग हेतु प्रशिक्षित करना तथा प्रशासनिक स्तर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम के आरंभ से ही प्रतिभागियों में उत्साह और सक्रियता का वातावरण रहा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से नियुक्त अनुभवी हिंदी प्राध्यापिका सप्ताह में दो बार महाविद्यालय आकर प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन करती रहीं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को हिंदी व्याकरण की सूक्ष्मताओं, सरकारी कार्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, पत्राचार की मानक शैली, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट लेखन, अधिसूचना एवं परिपत्र निर्माण, ई-कार्यालय प्रणाली में हिंदी का प्रयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की तकनीकों का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक सत्र में न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया गया, बल्कि व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को वास्तविक प्रशासनिक परिस्थितियों में हिंदी के प्रयोग की दक्षता विकसित करने का अवसर मिला।

महाविद्यालय के उच्च प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न समितियों के संयोजक, प्राध्यापकगण और गैर-शिक्षण कर्मचारी इन कक्षाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि महाविद्यालय की माननीय प्राचार्या ने स्वयं हिंदी पारंगत परीक्षा हेतु पंजीकरण कराया और प्रशिक्षण सत्रों में नियमित भागीदारी निभाई। इससे समूचे संस्थान में हिंदी के प्रयोग के प्रति गंभीरता और प्रेरणा का वातावरण निर्मित हुआ।

पूरे प्रशिक्षण काल में प्रतिभागियों ने हिंदी भाषा के प्रयोग में आत्मविश्वास, सटीकता और औपचारिकता को आत्मसात किया। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों की जानकारी भी उन्हें विस्तार से प्रदान की गई, जिससे वे न केवल भाषाई दृष्टि से दक्ष हुए, बल्कि नीतिगत अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में भी सक्षम बने। प्रशिक्षण के समापन पर यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया गया कि महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं से यह भी ज्ञात हुआ कि इस कार्यक्रम ने उनके कार्यकुशलता स्तर को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है और वे अब कार्यालयी दस्तावेजों, ई-मेल, रिपोर्ट एवं अभिलेखों में हिंदी का प्रयोग अधिक सहजता और दक्षता से कर पा रहे हैं। समापन अवसर पर महाविद्यालय प्रशासन ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा, जिससे महाविद्यालय हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक आदर्श संस्थान के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर सके।

